कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 16.05.2025

विषयः- "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैण्ट मे पंजीकृत दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त दुर्गा शंकर उर्फ आदित्य को 07 वर्ष का कारावास व कुल 10000/- रु0 का अर्थदण्ड।

थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 195/2014 धारा 376/366/363/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त दुर्गा शंकर उर्फ आदित्य निवासी मिनवा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-16.05.2025 को माननीय न्यायालय ASJ/FTC-02 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 376 भादवि में 07 वर्ष की सजा व 5000/- रु. अर्थदण्ड , अन्तर्गत धारा 366 भादवि में 05 वर्ष की सजा व 2000/- रु. अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में 05 वर्ष की सजा व 2000/- रु. अर्थदण्ड तथा धारा 506 भादवि में 01 वर्ष की सजा व 1000/- रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।